FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 25)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना

नेहा यादव बनाम सहीराम वगै०

मुकदमा दावा नं० 287 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.8.21	आज यह वाद पत्र पेश किया दर्ज रजिस्टर हो पत्रावली शामिल हो समन नोटिस तलब हो वाद तलबी दि० 28.9.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	
28/9/21	आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अवकाश/अन्य राज्य कार्य के चलते मिटिंग में पधारे हैं। पत्रावली उनके समक्ष दि० 28/10/21 को पेश हो।	
15.11.21	आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 में निमार्ण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत शिकारवा.....पर पेश हुई। वकुलाय/फरीकेन उपस्थित। पत्रावली मे राजीनामा एवं आपसी सहमती नही बनने पर पत्रावली न्यायालय मे दिनाँक ...7.3.22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	[illegible]
28-01-24	आज पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित [illegible] 13-03-24 को पेश हो। [signature]
13.3.24	आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी.... के वकील उपस्थित है। तहसील...को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते....रिपो. तहसील दिनांक ...1.5.24... को पेश है। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
01-5-24	आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य [illegible] किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19.6.24 को पेश हो। [signature] रीडर
19.6.24	आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी के वकील अनुपस्थित। पत्रावली में बार-बार आवाज दिलाई गई। लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं आये। न ही कोई सूचना प्राप्त हुई। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी वाद चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

रजू दिनांक 17.08.2021

निर्णय दिनांक 02.08.2022

उनवान

... पुत्री श्री राजवीर जाति अहीर निवासी सिरयानी तह. नीमराना,अलवर।
... पुत्र श्री राजवीर जाति अहीर निवासी सिरयानी तह. नीमराना,अलवर
... माता श्रीमति मीना देवी पत्नी राजवीर जाति अहीर निवासी सिरयानी
... अलवर।

—:प्रार्थीगण / वादीगण।

बनाम

1. ... जाति अहीर निवासी सिरयानी
2. ... सहीराम जाति अहीर निवासी सिरयानी
3. ... सहीराम जाति अहीर निवासी सिरयानी
4. ... पुत्री सहीराम जाति अहीर निवासी सिरयानी
5. ... पुत्री सहीराम जाति अहीर निवासी सिरयानी
6. उप पंजीयक नीमराना।
7. ... जरिये तहसीलदार नीमराना।

अप्रार्थीगण।

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति:— 1 श्री ... कुमार एड0 प्रार्थी की ओर से।
2 श्री ... सिंह यादव एड0 अप्रार्थी सं. 01 की ओर से।

—::निर्णय::—

दिनांक :—02.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. प्रार्थीगण / वादीगण ने दावा पेशकर उसके साथ प्रा0 पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 पेश कर ... किया कि आराजी ख०नं. हाल 857 / 0.08, 858 / 0.10, 961 / 0.12, 962 / 0.09, 9... 975 / 0.13 है0 के हिस्सा 1 / 15 व ख0नं0 853 / 0.12 के 2 / 5 हिस्सा व ख0... 926 / 0.11 के 1 / 3 हिस्सा व ख0नं0 1078 / 0.13, 1079 / 0.14, 1136 / 0.15, 96... / 0.1..., 218 / 0.54, 1094 / 0.10, 1095 / 0.08, 1096 / 0.13 के हिस्सा 1 / 9 वाके ग्राम सिरयानी की खातेदारी हम वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी बाबत दावा व दावे के साथ यह प्रा0 पत्र पेश किया जा रहा है। आराजी विवादित हम वादीगण की कोपार्सनरी दादालाई की आराजी है। इसलिए आराजी विवादित में प्रतिवादी सं. 1 के साथ कानून हम वादीगण के जन्म से ही हक व अधिकार निहित हो गए है। हम वादीगण के दादा वृद्ध हो चुके है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 शराबी व्यक्ति है जिन्होंने प्रतिवादी सं. 1 को अपने प्रभाव व बहकावे मे लिया हुआ है। आराजी विवादित को जबरन को खुर्द बुर्द कर दिगर लोगो को विक्रय करने की फिराक मे है। हम वादीगण को प्रतिवादीगण ने आराजी विवादित को जबरन विक्रय करने की खुली धमकी दी है।

2. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ... फैसला दावा पाबन्द किया जावे कि वे आराजी ख०नं. हाल 857 / 0.08, 858 / ... 961 / 0.12, 962 / 0.09, 973 / 0.09, 975 / 0.13 है0 के हिस्सा 1 / 15 व

...03/0.12 के 2/5 हिस्सा व ख0न0 926/0.11 के 1/3 हिस्सा व ख0न0 ...1079/0.14, 1136/0.15, 960/0.16, 218/0.54, 1094/0.10, 1095/0. ...0.13 के हिस्सा 1/9 वाके ग्राम सिरयानी से प्रार्थी को जबरन बेदखल ना ... उपयोग मे बाधा पैदा ना करे तथा ना ही किसी भी प्रकार से आराजी ... बय व मंतकिल करे। मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

...पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 17. ...2021 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि ...दिनांक 23.09.2021 तक आराजी विवादित के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे ...भी आपत्ति हो हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करें। प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया बाद तामिल अप्रार्थीगण सं 01 सहीराम ने उक्त प्रकरण मे शीघ्र सुनवाई हेतु प्रा0 पत्र पेश किया जिस पर प्रकरण मे छोटी तारीख पेशी नियत की गई। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रा0 पत्र को अस्वीकार करते हुए ... पेश किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी सं. 1 को विरासत मे प्राप्त नही हुई है ... अप्रार्थी सं. 1 की स्व अर्जित आराजी है। जो किसी भी प्रकार से वादीगण की ... की आराजी नही है। जिससे वादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। अप्रार्थी स 1 की स्वः अर्जित आराजी मे जीते जी प्रार्थीगण के कोई किसी भी प्रकार के हक व अधिकार निहित नही है। स्वः अर्जित आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने का कानूनी अधिकार नही है।

4. अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र मह हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावें।

5. हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के संलग्न नकल जमावन्दी सं0 2073–76 के अवलोकन से सावित है कि आराजी विवादित अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी मे दर्ज है। नकल इन्तकाल सं. 743, 773 के अवलोकन से सावित है कि आराजी विवादित अप्रार्थी सं. 1 की स्वः अर्जित आराजी है। जमावन्दी हाल के अनुसार आराजी विवादित अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। कानूनन किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी अधिकारो के उपभोग उपयोग हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। चूंकि हक हकुको का निर्णय मूल वाद मे साक्ष्य सबूत लेकर ही किया जावेगा। वर्तमान स्टेज पर केवल पृथ्म दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति क्षति के बिन्दू पर ही गौर किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नही होता है ना ही प्रार्थीगण के पक्ष मे सुविधा का सन्तुलन है एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने का भी अन्देशा नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सावित नही होता है। प्रा0 पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

6. अत आदेश है कि–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 बावत आराजी ख.नं. हाल 857/0.08, 858/0.10, 961/0.12, 962/0.09, 973/0.09, 975/0.13 है0 के हिस्सा 1/15 व ख0न0 853/0.12 के 2/5 हिस्सा व ख0न0 926/0.11 के 1/3 हिस्सा व ख0न0 1078/0.13, 1079/0.14, 1136/0.15, 960/0.16, 218/0.54, 1094/0.10, 1095/0.08, 1096/0.13 के हिस्सा 1/9 वाके ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना सावित नही होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे जारी टी.आई दिनांक 17.08.2021 को अपास्त किया जाकर खारीज किया जाता है। प्रा0 पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)
मुकुल ... (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना